संख्या-3/2021/96-आयुष -2-2021-20(बी)/2018

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी, उ0प्र0,
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊःदिनॉक 09 फरवरी, 2021

विषयः अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके पत्रांक-नि0हो0/1041/बजट/2020-21/283, दिनांक 27.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 9/2020/1092/96-आयुष-2-2020-20(बी)/2018, दिनांक 16.04.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34 के लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-102-होम्योपैथी-05-अन्य व्यय-0506- होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड को अनुदान-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2.00 लाख में से रू0 1.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उक्त मद में प्राविधानित धनराशि रू0 02.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 01.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल चालू मदों पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई योजनाओं/मदों पर नही किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त-पुस्तिका/नियमों/संगत शासनादेशों, स्टोर परचेज नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उक्त मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृत सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
3. अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि का व्यय शासन से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा। उक्त के प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जाय।
4. पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि का यथासमय समुचित प्रस्ताव विभाग से प्राप्त होने पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाय तथा जिन मदों में धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राविधानित है, उन्ही मदों में व्यय किया जाय। धनराशि का एक मद से दूसरे मद में व्ययार्वतन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

6. स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटन आदेश की प्रति समस्त अधिकारियों/शासन को उपलब्ध करायी जाय।
7. उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित शर्तो/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. स्वीकृत धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण निर्धारित प्रपत्र पर माह 10 तारीख तक शासन/वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहें है।

भवदीय

(प्रशान्त त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3/2021/96-आयुष-2-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एक हकदारी द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी होम्योपैथी निदेशालय।
5. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(के0बी0एस0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।